

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD/7558)2014/एफसीए/प्रमुखसं./ 1110

दिनांक 11/6/26

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Construction of A/R to Banikheri in District-jhalawar (Rajasthan)
Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014

संदर्भ:-राज्य सरकार के पत्रांक प.1(50) वन/2015 जयपुर दिनांक 18.03.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा से प्राप्त हुई है जो कि इस कार्यालय की सहमति के साथ पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	अधिरापित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेंसी की होगी।	इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव राशि जमा की जाएगी।	100 वृक्षों के वृक्षारोपण की वर्तमान श्रमिक दरों पर राशि 323030/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) 1679759/- जमा करा दी गयी है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/ 2007-एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	शुद्ध वर्तमान मुख्य (एनपीवी) की राशि वर्तमान दरों पर आवश्यक धन राशि 172046/- जमा करा दी गई है।

10.

उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्यां CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11, भूतल सीजीओ, कॉम्प्लेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 2792000/-रु सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ () एफसीए / उवसं/2023/9272 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है एवं शेष राशि 412/-रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि
7	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1195213	872183	323030
8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	6215110	4535351	1679759
9	एन.पी.वी. राशि	498046	326000	172046
योग		7908369	5735354	2174835

दण्डात्मक एन.पी.वी की राशि 617577/-रु

कुल देय राशि 2792412/-रु

सावल्दा सड़क के बदले समायोजित राशि 2792000/-रु शेष राशि 412/- रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है।

11.

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी है, जो संलग्न है।

12.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी-एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।

13.

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11, भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरांत ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा

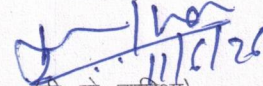
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 2792000/-रु सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ () एफसीए / उवसं/2023/9272 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है एवं शेष राशि 412/-रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि
----------------------------------	----	---------------------------	--------------------	----------------

	अन्य हेतु जमा धनराशिका पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	7	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1195213	872183	323030
		8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	6215110	4535351	1679759
		9	एन.पी.वी. राशि	498046	326000	172046
		योग		7908369	5733534	2174835
		दण्डात्मक एन.पी.वी की राशि 617577/-रु कुल देय राशि 2792412/-रु सावल्दा सड़क के बदले समायोजित राशि 2792000/-रु शेष राशि 412/- रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है।				
14.	नोडल अधिकारी (FCA) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	पालना कर दी जावेगी।				
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, MoEF &CC, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	जी, हाँ राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, MoEF &CC, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।				
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/ 2012/ एफसी दिनांक 24.7.13 से ओनेबल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 10.01.2019 व 26.01.2019 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है।				

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

भवदीया,


(टी. जे. कविथा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक

क्रमांक: एफ. 14(ROAD/7558)2014/एफसीए/प्रमुवसं./

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जगदीप सिंह बहिया)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए)
अरण्य भवन, जयपुर

[Online Help/Query](#)

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	Select State :	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	7558		
SEARCH			

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/7558/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7558/2014) Const of A/R to Banikheri	ROAD75582014108	18 Mar 2015	CA: 412/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 412/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 31 Oct 2023 Transaction Date: 07 Nov 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180920231818250555_FPRJROAD75582014_User_Fund_Demanded_1645E.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD75582014108)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilstatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact
EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-
fc(at)nic(dot)in

(जगदीप सिंह दहिया)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
प्र.नु.व.सं. (बीक), राज. जयपुर

156

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ मु.व.स./2023-24/ 3911

दिनांक 13.7.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

विषय :- Construction of A/R to Banikhedi Proposal no. FP/RJ/ROAD/7558/2014

संदर्भ:- उप वन संरक्षक झालावाड का पत्रांक 10091 दिनांक 12.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौचय प्रकरण की वनमण्डल झालावाड से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

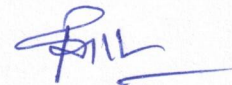
क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता ऐजेन्सी की अण्डर टेकिंग सलंगन है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां, जी प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग कियी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। वनमण्डल झालावाड द्वारा प्रेषित अण्डरटेकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अंतर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग सलंगन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। अण्डर अँकि सलंगन है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काआ जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होन पर वन विभाग के होंगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति/वन्यजीव की क्षति होने पर यूजर ऐजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति वन्यजीव की क्षति होने पर युजर ऐजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेन्सी की ही होगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों	पतन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई

	तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जावेगी।	हे।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	वनमण्डल झालावड की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक धनराशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन सिविल 202/19985 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	वनमण्डल झालावड की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक धनराशि जमा करा दी गई है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियो प्रतिपूर्ति पोधारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या सीएफ राज.एस.बी.01025225 कॉर्पोरेशन बैंक भारत सरकार उपक्रम ब्लॉक -11 भूतल सीजीओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जावेगा।	वनमण्डल झालावड की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक धनराशि जमा करा दी गई है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इसक आशय का वत्रनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। की समक्ष स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढोतरी होती है। हां जी है जो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।	हां जी है वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सडक निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की सिलिंग मे किया जायेगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा। तथा प्रत्यावर्तित वनभूमि में सडक निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर सिलिंग की जावेगी जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में वनमण्डल झालावाड द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007 एफसीए दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध	वनमण्डल झालावाड द्वारा संलग्न रिपोर्ट संलग्न है।

	वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पोधारोपण निधि प्रबन्ध कॉपरेशन बैंक भारत सरकार का उपक्रम ब्लॉक 11 भूत सीजीओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराने के उपरान्त ही जमा की गई धनराशि का का चैक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या।(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव के स्वीकृति के अगले माह की 05 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15.	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसीए दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर ऐजेंसी द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरक्षः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडिज पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	जी, हां उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर ऐजेंसी द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करावी दी जावेगी। जो कि दिनांक 10.01.2019 से 26.01.2019 को 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी जावेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न है।

भवदीय



(रामकरण खैरवा)
संभागीय वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2023/ 11503
निमित्त :-

दिनांक: 30.11.23

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :-कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेड़ी जिला झालावाड़।

Proposal no. FP/RJ/ROAD/7558/2014

प्रसंग:-अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड चौमहला का पत्रांक 424 दिनांक 09.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक पत्रांक प. 1 (50) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना में प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।

प्रति सत्यम्

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

	जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं लोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 2792000/- रु सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/9272 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है एवं शेष राशि 412/- रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.

(एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)		2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है। <table><tr><th>सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>मांग राशि श्रमिक दर 259/-</th><th>पूर्व में जमा राशि</th><th>शुद्ध देय राशि</th></tr><tr><td>7</td><td>100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td><td>1195213</td><td>872183</td><td>323030</td></tr><tr><td>8</td><td>प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td><td>6215110</td><td>4535351</td><td>1679759</td></tr><tr><td>9</td><td>एन.पी.वी. राशि योग</td><td>498046</td><td>326000</td><td>172046</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7908369</td><td>5733534</td><td>2174835</td></tr></table> दण्डात्मक एन.पी.वी की राशि 617577/-रु कुल देय राशि 2792412/-रु सावल्दा सड़क के बदले समायोजित राशि 2792000/-रु शेष राशि 412/-रु बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेसी द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है।					सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि	7	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1195213	872183	323030	8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	6215110	4535351	1679759	9	एन.पी.वी. राशि योग	498046	326000	172046			7908369	5733534	2174835
सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि																											
7	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1195213	872183	323030																											
8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	6215110	4535351	1679759																											
9	एन.पी.वी. राशि योग	498046	326000	172046																											
		7908369	5733534	2174835																											
44.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																													
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																													
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 10.01.2019 व 26.01.2019 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है ।																													

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
भवदीय

(वी. चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
झालावाड़
दिनांक: 30.11.23

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2022-23/ 11504

प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड चौमहला को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रति सत्यापित

उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक 112-4
श्रीमान् उवन संरक्षक
झालावाड़

विषय :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
प्रसंग :- आपका पत्रांक एफ.() सर्वे/उवस/2023/10066 दिनांक 09.09.2023 के
क्रम में।
प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/7558/2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित विषयाकित प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के
गर्त सामान स्वीकृति तहत धारा-2 मे कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़ मे 0.52 हैक्ट. हेतु
भूमि व प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार स्पष्ट पालना रिपोर्ट मे पूर्व मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक
7 नांक 25.09.2017 एवं 79 दिनांक 29.05.2023 एवं 205 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी
पुनः बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही होगा।
प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी प्रत्यावर्तित वनभूमि कर उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।	हाँ जी प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नही किया जावेगा।
याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं खरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।	हाँ जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।
प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।

FCR 22/11/2023
प्रति सत्यापित
(सागर पवार IFS)
उवन संरक्षक
झालावाड़
दिनांक 21/11/23
क्रमांक 10000

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो की समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। 163
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हाँ जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गयी है।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 3/207-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत मे दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) द्वारा की राशि जमा की जावेगी।	अभिकरण द्वारा धन राशि रु. 2792000/- रुपये सम्पर्क सडक सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गई को जमा राशि रुपये 12697639/- में समायोजन की अभिशंषा की जाती है। प्रति संलग्न है। एवं शेष राशि रु. 412/- का चालान इस खण्ड कार्यालय के बिल संख्या 48726180 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।
उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जम्मा कराया जायेगा।	हाँ जी राशि रु. 57.33 लाख जमा करवा गयी है है जिसमे CA की राशि रु. 54.07 लाख सम्मिलित है।
प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरो में बढ़ोतरी होती हों जी तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी	हाँ जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ सी ए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सडक निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग में जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग जायेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण संलग्न कर दिया है।
अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	अभिकरण द्वारा धन राशि रु. 2792000/- रुपये सम्पर्क सडक सावल्दा (स्टेट प्लान 5054) की जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार

प्रति
सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
मवाड

5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाया कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति जमा की गई धन राशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है)	द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निरस्त की गई को जमा राशि रुपये 12697639/- में समायोजन की अभिशंषा की जाती है। प्रति संलग्न है। एवं शेष राशि रु. 412/- का चालान इस खण्ड कार्यालय के बिल संख्या 48726/80 दिनांक 02.11.2023 से जमा करवा दिया गया है। वाउचर की प्रति संलग्न है।
4. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
5. राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
6. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफ.सी दिनांक 27.7.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 करे पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेज में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	जी हाँ उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दी गई है छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुसार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छाया प्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

क्रमांक 424

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त झालवाड
3. सहायक अभियंता सा.नि.वि. उपखण्ड डग

प्रति सत्यापित

(सागर प्रदीप IFS)
उप वन संरक्षक
झालवाड

(गजानन्द मीणा)

अधिशायी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9/11/2023

(गजानन्द मीणा)

अधिशायी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9.11.23

क 424

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

(वी. चेतन कुमार IFS)

उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक १०/११/२३

क्रमांक ५२५

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. २ की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्यापित

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्य पित


(सागर प्रसाद IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक ११.११.२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

(गजनिन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

प्रतिस्व्यापित
(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक १०/११/२३

क्रमांक ५२५

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ५ की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(टी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्यापित

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

सं. 424

दिनांक 01.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेंसी की होगी।


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्यापित


(सागर पद्वार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(राजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक १.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरो का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

प्रति सत्यापित


(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड


(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक ५२५

दिनांक १०/१०/२०१३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. ४ की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।

(टी. चैतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

प्रति सत्यापित

(सागर प्रवीर IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9.11.23

क्रमांक 424

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

104
(ली. हेमल कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रति सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

दिनांक 9.11.23

मांक 424

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निम्नानुसार जमा की जावेगी।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

प्रति सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

(गजानन्द मीना)
अधिशाषी अभियंता
सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड़
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किये जाने पर आपत्ती नहीं है।

(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

उप सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

क्रमांक 424

दिनांक 9.11.23

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- कन्स. ऑफ ए आर टू बानीखेडी जिला झालावाड
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करा दी गयी है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

प्रति सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड



(गजानन्द मीना)

अधिशाषी अभियंता

सा. नि. वि. खण्ड चौमहला

राजस्थान के राज्यपाल श्री अशोक कुमार सिन्हा की ओर से सड़क निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2018-19 के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत निदेशों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संयंत्रों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डॉन एण्ड पुर्नगर विभागा/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत सर्वेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एवं वी श्रेणी के सर्वेदकों के समुदाय को, से चार्ज हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रारंभ में प्राप्ति की जावेगी। ऑनलाईन निविदा डाउनलोड दिनांक: 02.01.2019 प्रातः 9.30 बजे से 21.01.2019 दोपहर 2.00 बजे तक की जा सकेगी। ई-निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट <http://dijpr.rajasthan.gov.in/tenders.asp> व, <http://sprr.nic.in> व <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> व <http://pwd.raj.gov.in> पर देखा जा सकता है।

(आर.एस.वैरवा)

અધીક્ષણ અભિયંતા,

सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त टोंक

ई-मेल mbpdpr@gmail.com फोन नं./फैक्स नं. 01505-232090

कार्यालय नगरपालिका पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : 3736-3742

दिनांक : 08.01.2019

ई-निविदा सूचना (संख्या- ई-04/2018-19)

नगरपालिका पदमयूर द्वारा बजट घोषणा विस्तृत वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अन्य निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु नगरपालिका/परिषद/निगमों/नगर विकास न्यास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवासन मण्डल व केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के अभियांत्रिक विभागों द्वारा मिलित कार्यों हेतु मान्यता प्राप्त एवं अनुभवी संवेद्यकों से निर्धारित प्रचुर भे ई-निविदा सूचना क्रमांक 3729-373 दिनांक 08.01.2019 द्वारा ई-प्रोचयमेंट प्रक्रिया के माध्यम से 8 कार्यों की (अनुमानित लागत 121.11 लाख) ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण एवं निविदा कार्य वेबसाइट <http://urban.rajasthan.gov.in/ulbpadampur>, www.sppp.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। ये निविदाएं प्रकारानुसार दिनांक 09.01.2019 समय 2.00 बजे से अंतिम दिनांक 19.01.2019 समय सायं 06.00 बजे तक प्राप्त कर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि दिनांक 22.01.2019 को समय 2.00 बजे ऑनलाइन खोली जावेगी।

UBN No. :

DLB1819WSOB19901, DLB1819WSOB19903,

DLB1819WSOB19904, DLB1819WSOB19905,

DLB1819WSOB19907, DLB1819WSOB19908,

DLB1819WSOB19909, DLB1819WSOB19910

न कुमार) अध्यक्ष (देवेन्द्र कुमार शर्मा) अधिशाषी अ

(सुनील कुमार) अध्यक्ष
नगरपालिका पदमपुर

जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड सलूम्बर
जिला उदयपुर-313027
Phone : 02906-232559, Fax : 02906-232612
E-mail : eesalumberwrdr@gmail.com

कक्षा : विविध, पंजा/2018-19/

दिनांक :

ई-निविदा सूचना संख्या 11 वर्ष 2018-19 ::
(NIB Code - WRD1819A0522)

राजस्थान के राजपाल मांजरी की ओर से राज सरकार के विभागों/संगठनों/उपक्रमों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत टेकेंडों को PWI & AR विभाग 334 परिसर XVII रिजर्वेशन सेक्टर VII, 2 के अंतर्गत एजेंडाशन सरकार को संवर्धित विभाग में पुनर्व्यवस्थापित किया हुआ है। राज सरकार/केंद्रों/संस्थानों के अधिकृत अधिकारियों/लेखनीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत टेकेंडों को नि राजस्थान सरकार के 'एए' श्रेणी के टेकेंडों के सफल होने से बिधि प्रभव में 1:- Construction of Pavli Ambia, Village - Chawand, GP - Chawand, PS - Sarada, District - Udaipur, Rs. 172.20 Lac. 2. Urgent Renovation & Restoration of LMC Somkamla Amba in between Ch 0 to 150 (Under TAD) & 3. Remaining work of Construction of Lining between Ch 20.10 km to 25.05 km of Bhabarana Minor, PS - Jhallara के निर्माण कार्य हेतु निर्गमित प्रभव में ई निविदा अतिरिक्त आवेदन की जाती है। निविदा प्रभव डाउनलोड/बिचक निम्नक 01.01.2019 से दिनांक 10.01.2019 को रायपाल के 6:00 बजे तक प्राप्त करें जल्द कार्य करवाई जा सकेगी। अतिरिक्त निविदा प्रभव दिनांक 15.01.2019 को मण्डला 2.00 घंटे उपस्थित टेकेंडों के समक्ष फोली जाएगी। निविदा से संबंधित बिचक वेबसाइट <http://proc.rajasthan.gov.in>, www.water-resources.rajasthan.gov.in, www.dipr.rajasthan.gov.in, <http://sppp.raj.nic.in> एवं कार्यालय प्रभव में नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

(शुद्ध कुमार जैन) अधिशासी अभियंता,

जल संसाधन खण्ड, सलूम्वार, मो. : 9414159809

S. No.	BID Title (UBN)	Amount	Bid Type	Open Date	End Date
1	WRD1819WSOB01157	17280000.00	Works	15.1.19	10.1.19
2	WRD1819WSOB01158	17936000.00	Works	15.1.19	10.1.19
3	WRD1819WSOB01160	21790000.00	Works	15.1.19	10.1.19

डा. आर. एस. अर/१३/१७०/२०१९

12.13.1944, 14.11.1944, 15.11.1944, 16.11.1944, 17.11.1944, 18.11.1944, 19.11.1944, 20.11.1944, 21.11.1944, 22.11.1944, 23.11.1944, 24.11.1944, 25.11.1944, 26.11.1944, 27.11.1944, 28.11.1944, 29.11.1944, 30.11.1944, 1.12.1944, 2.12.1944, 3.12.1944, 4.12.1944, 5.12.1944, 6.12.1944, 7.12.1944, 8.12.1944, 9.12.1944, 10.12.1944, 11.12.1944, 12.12.1944, 13.12.1944, 14.12.1944, 15.12.1944, 16.12.1944, 17.12.1944, 18.12.1944, 19.12.1944, 20.12.1944, 21.12.1944, 22.12.1944, 23.12.1944, 24.12.1944, 25.12.1944, 26.12.1944, 27.12.1944, 28.12.1944, 29.12.1944, 30.12.1944, 31.12.1944, 1.1.1945, 2.1.1945, 3.1.1945, 4.1.1945, 5.1.1945, 6.1.1945, 7.1.1945, 8.1.1945, 9.1.1945, 10.1.1945, 11.1.1945, 12.1.1945, 13.1.1945, 14.1.1945, 15.1.1945, 16.1.1945, 17.1.1945, 18.1.1945, 19.1.1945, 20.1.1945, 21.1.1945, 22.1.1945, 23.1.1945, 24.1.1945, 25.1.1945, 26.1.1945, 27.1.1945, 28.1.1945, 29.1.1945, 30.1.1945, 31.1.1945, 1.2.1945, 2.2.1945, 3.2.1945, 4.2.1945, 5.2.1945, 6.2.1945, 7.2.1945, 8.2.1945, 9.2.1945, 10.2.1945, 11.2.1945, 12.2.1945, 13.2.1945, 14.2.1945, 15.2.1945, 16.2.1945, 17.2.1945, 18.2.1945, 19.2.1945, 20.2.1945, 21.2.1945, 22.2.1945, 23.2.1945, 24.2.1945, 25.2.1945, 26.2.1945, 27.2.1945, 28.2.1945, 29.2.1945, 30.2.1945, 31.2.1945, 1.3.1945, 2.3.1945, 3.3.1945, 4.3.1945, 5.3.1945, 6.3.1945, 7.3.1945, 8.3.1945, 9.3.1945, 10.3.1945, 11.3.1945, 12.3.1945, 13.3.1945, 14.3.1945, 15.3.1945, 16.3.1945, 17.3.1945, 18.3.1945, 19.3.1945, 20.3.1945, 21.3.1945, 22.3.1945, 23.3.1945, 24.3.1945, 25.3.1945, 26.3.1945, 27.3.1945, 28.3.1945, 29.3.1945, 30.3.1945, 31.3.1945, 1.4.1945, 2.4.1945, 3.4.1945, 4.4.1945, 5.4.1945, 6.4.1945, 7.4.1945, 8.4.1945, 9.4.1945, 10.4.1945, 11.4.1945, 12.4.1945, 13.4.1945, 14.4.1945, 15.4.1945, 16.4.1945, 17.4.1945, 18.4.1945, 19.4.1945, 20.4.1945, 21.4.1945, 22.4.1945, 23.4.1945, 24.4.1945, 25.4.1945, 26.4.1945, 27.4.1945, 28.4.1945, 29.4.1945, 30.4.1945, 31.4.1945, 1.5.1945, 2.5.1945, 3.5.1945, 4.5.1945, 5.5.1945, 6.5.1945, 7.5.1945, 8.5.1945, 9.5.1945, 10.5.1945, 11.5.1945, 12.5.1945, 13.5.1945, 14.5.1945, 15.5.1945, 16.5.1945, 17.5.1945, 18.5.1945, 19.5.1945, 20.5.1945, 21.5.1945, 22.5.1945, 23.5.1945, 24.5.1945, 25.5.1945, 26.5.1945, 27.5.1945, 28.5.1945, 29.5.1945, 30.5.1945, 31.5.1945, 1.6.1945, 2.6.1945, 3.6.1945, 4.6.1945, 5.6.1945, 6.6.1945, 7.6.1945, 8.6.1945, 9.6.1945, 10.6.1945, 11.6.1945, 12.6.1945, 13.6.1945, 14.6.1945, 15.6.1945, 16.6.1945, 17.6.1945, 18.6.1945, 19.6.1945, 20.6.1945, 21.6.1945, 22.6.1945, 23.6.1945, 24.6.1945, 25.6.1945, 26.6.1945, 27.6.1945, 28.6.1945, 29.6.1945, 30.6.1945, 31.6.1945, 1.7.1945, 2.7.1945, 3.7.1945, 4.7.1945, 5.7.1945, 6.7.1945, 7.7.1945, 8.7.1945, 9.7.1945, 10.7.1945, 11.7.1945, 12.7.1945, 13.7.1945, 14.7.1945, 15.7.1945, 16.7.1945, 17.7.1945, 18.7.1945, 19.7.1945, 20.7.1945, 21.7.1945, 22.7.1945, 23.7.1945, 24.7.1945, 25.7.1945, 26.7.1945, 27.7.1945, 28.7.1945, 29.7.1945, 30.7.1945, 31.7.1945, 1.8.1945, 2.8.1945, 3.8.1945, 4.8.1945, 5.8.1945, 6.8.1945, 7.8.1945, 8.8.1945, 9.8.1945, 10.8.1945, 11.8.1945, 12.8.1945, 13.8.1945, 14.8.1945, 15.8.1945, 16.8.1945, 17.8.1945, 18.8.1945, 19.8.1945, 20.8.1945, 21.8.1945, 22.8.1945, 23.8.1945, 24.8.1945, 25.8.1945, 26.8.1945, 27.8.1945, 28.8.1945, 29.8.1945, 30.8.1945, 31.8.1945, 1.9.1945, 2.9.1945, 3.9.1945, 4.9.1945, 5.9.1945, 6.9.1945, 7.9.1945, 8.9.1945, 9.9.1945, 10.9.1945, 11.9.1945, 12.9.1945, 13.9.1945, 14.9.1945, 15.9.1945, 16.9.1945, 17.9.1945, 18.9.1945, 19.9.1945, 20.9.1945, 21.9.1945, 22.9.1945, 23.9.1945, 24.9.1945, 25.9.1945, 26.9.1945, 27.9.1945, 28.9.1945, 29.9.1945, 30.9.1945, 31.9.1945, 1.10.1945, 2.10.1945, 3.10.1945, 4.10.1945, 5.10.1945, 6.10.1945, 7.10.1945, 8.10.1945, 9.10.1945, 10.10.1945, 11.10.1945, 12.10.1945, 13.10.1945, 14.10.1945, 15.10.1945, 16.10.1945, 17.10.1945, 18.10.1945, 19.10.1945, 20.10.1945, 21.10.1945, 22.10.1945, 23.10.1945, 24.10.1945, 25.10.1945, 26.10.1945, 27.10.1945, 28.10.1945, 29.10.1945, 30.10.1945, 31.10.1945, 1.11.1945, 2.11.1945, 3.11.1945, 4.11.1945, 5.11.1945, 6.11.1945, 7.11.1945, 8.11.1945, 9.11.1945, 10.11.1945, 11.11.1945, 12.11.1945, 13.11.1945, 14.11.1945, 15.11

10/01/2019

यन्त्र विभाग

क्रमांक प. 1 (50) बन/2015

REF ID: A13032019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (MOFF)

राजस्थान, जयपुर

विषय : Construction of A/R to Bankheri in Post. Bulawayo.
सन्दर्भ : प्रस्ताव संख्या EP/RJ/ROAD/7559/2011

ग्रहोदय

कृपाय उपरोक्त संविधान विधायन प्रस्ताव में धर्म संघर्ष जटिलताओं को 1980 के अंतर्गत मान्यता स्वीकृति के तहत भाग-2 में मन भूमि प्रस्तावकों को देखे बिना गांधी जी का प्राण पुत्र राजा वरसोदध कपूर, जमुपर के प्रसार के पश्चात पूर्ण विश्वास करने के आदेश राज्य सरकार के सदस्य सखार के पर संस्था एकनं. 11-9/8-एलसी रिस्क 03/01/2005 से 13/07/2014 या भारत सरकार क्षेत्रीय न्यायालय के पर संस्था 736 दिनांक 10/09/2014 को मन संस्था अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भाग-2 में सामान्य स्वीकृति आधारित जो दिशा निर्देशों की प्रस्ताव करते हुए Construction of A/R to Handover in Dist. Jhalawar, में 0.52 है हेतु बन

1. यहाँ सटीकता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रमाण के लिए नोट किया जायेगा।
2. धन भूमि की वर्गीकरण विधिगत विधियों को ध्यान में रखते हुए प्रमाण के स्वरूप को ध्यान में रखा जायेगा।
3. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
6. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
10. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
11. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
13. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
14. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
15. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
16. प्रस्तावित धन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(सी.एस. रत्नासामी) शासन राधिय
Secretary to Government
Forest Department, Govt. Secretariat, Jaipur

DIPR/C/31/2019

अ. नि. वि. खण्ड चौमहर्षी
पेड नं 103022

प्रति सल्लाहिल
ॐ

the NETWORK

Applications i.e. upto 15th March, 2019 (Friday).
(Manager A)

जयपुर, दिनांक: 18.03.2015

Construction of A/R to Banikheri in Distt. Jhalawar.
प्रस्ताव संख्या EP/BJ/ROAD/7558/2014

nkster?" he asked. He said the R-I-P's tall claims of irreducibility have been shaken with the Congress vote in the assembly.



The Times of India, Saturday, January 26, 2019

प्रति लघ्यापित

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

RUI

CREDIT I D

HAKEE

Published on 26.07.2019

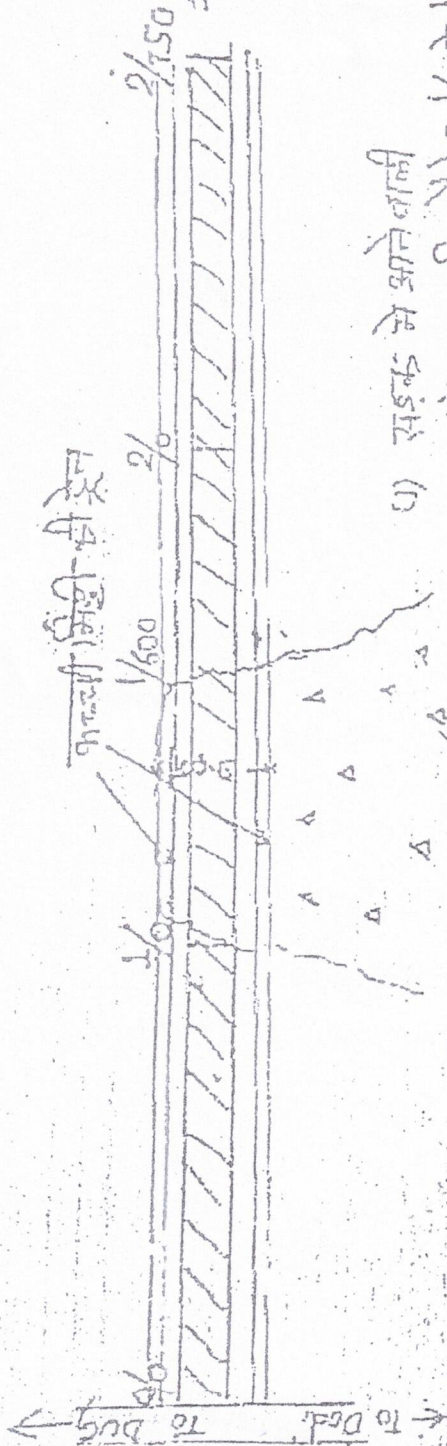
भवदीय
(सी.एच. रत्नाशामी)
शासन सचिव
Secretary to Government
Forest Department
Govt. Secretariat, Jaipur.

For details, visit rupay.co.in | Follow us on:

मर-15 स्याजाना लसत

सामक-सक जानी रेवडी

आमर का नाम :-



1) सडक से आने वाली

जंजालत आम-से-1/6 से 1/600 = 600मी x 3.0मी.

क्षेत्रफल = $600.0 \times 9.0 = 5400$ वर्गमी.
= 0.54 हेक्टेयर

(2) सडक निर्माण से कोट जाने

वाले पैडो की संख्या = 1/100

उपवन
14.2.17

सामक-सक जानी रेवडी
आम-वानी रेवडी

प्रति सत्यापित

✱

(सागर पवार IFS)
उपवन संरक्षक
झालावाड़

179

Invoice Code : 65

Department Name : Public Works Department

OfficeID : 9980

Wam bill of : X.En. PWD Div Chomelah(9980)

Works Payment : WAM Payment

Reference No : 3806039

Wam Reference No : #1/1 of 834143

Name : XEn PWD Chomhela

Division Code : 104

Bill No : 48726180

Date : 02/11/2023

Demand No : 51

DDO Code : 103022

Code : JDHE00689D

Object Head : 74

Budget Head : 5054-03-789-03-00/SF/V

Amount : 465.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

Contingency Head :

The Treasury/Sub Treasury Officer, GANGDHAR

Issue Order to pay ₹ 412 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Divisional Officer

I certify that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of online allotted /LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.



Digitally signed by GAJANAND
MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:24 +05:30
Reason: GAJANAND MEENA

Sign (With Seal) : Digital ESign of DDO

9772250555

Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
RAJASTHAN CAMPA BENGALURA 9772250555	UNION BANK OF INDIA 150856175580108 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	465.00 412.00	3806039	2059-80-001-04-01 33.00 2059-80-052-04-01 8.00 3054-03-337-01-03 12.00

Amount Rs. 465.00

B.T.Amount: Rs.53.00

Net Amount:Rs. 412.00

t In Words : FOUR HUNDRED TWELVE Only

Sign Of DDO with



Digitally signed by GAJANAND
MEENA
Date: 2023.11.02 11:21:33 +05:30
Reason: GAJANAND MEENA

Sign/Digital ESign of DDO

For Accountant General Office

Treasury Voucher

Date :

No:

Pay ₹ : 465.00

(In Words) : FOUR HUNDRED SIXTY FIVE ONLY

B.T. Heads : 53.00

Total : 53.00Only

(In Cash) ₹ : 412.00

(In Words) : FOUR HUNDRED TWELVE ONLY

Director

Supdt

Gaz.Officer

Auditor

AAO-I/II

Treasury/Sub Treasury Officer ESign

प्रति सत्यापित
६

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

Government of Rajasthan

See Chap. XIV, paras 440, 446 and 460

Public Works Department Buildings & Road Branch

HAND RECEIPT

Rajasthan Campa

Cash Book Voucher No.

Passed for Rs. 412/-

(1) Pay

(Rs) Four hundred twelve only

अधिशेषी अभियन्ता

सा नि. वि. खण्ड चौमहला

कोड नं 103022

(2) Paid by me P.D. +

Rs. 412/-

Received from XEN PWD Div. Chaurmahla

(Rs) Four hundred twelve only

Name of Work X for which payment is made

A/R to Bankheri F.P.R. (road)

Chargeable to

of Pay bill 7558 (2014)

Voucher No.

-Witness

Signature

The officer authorizing payment should initial and date the order after seeing the cheque or cash as the case may be (1)

The person actually making the payment should initial and date payment certificate

In the case of works the accounts of which are dept. by sub-heads the amount of each sub-head should be specified by the disbursing officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jalpur

PayManager Ref. Id(s): 3806039

No. & Date:

Ref No.: 88, Dated: 01/11/2023

Division Code: 9980

Division Name: X.En. PWD Div Chomelah

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Tender for widening and strengthening of Susner suwasra road (Upto MP border) Distt Jhalawar

Order Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/Bill No: Dated: 31/10/2023

Reason: N/a

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Bank Account No. - 150856175580108

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 412
(Words): Rupees Four Hundreds Twelve Only

Particulars / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-03-789-03-00-74-V-P	412	WorkId: 13065

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks

This Bill will break in following part(s) for PayManager (First column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3806039	5054-03-789-03-00-74-V-P	412		412 WorkId: 13065
	Payment Through Treasury		53	Prorata WorkId: 13065
	5054-03-789-03-00-74-V-P	33		Prorata
	2059-80-001-04-01-98-V-P	8		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	12		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P			

Amount Payable In Figures: 412

Amount Payable In Words: Rupees Four Hundreds Twelve Only

Certified that :

The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
 The Payment of this bill is not drawn previously.
 Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
 Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
 All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
 No tools & Plants has been issued to the Contractor.
 Material has been used by Contractor as per Specifications.

पडीय लेखाकार
 वि. पण्ड चौमहला

Courtesy: <https://www.rajasthan.gov.in> (Printed on 11/11/2023 5:15:14 PM)

अधिशोषी अभियन्ता

गण वि नि जालय चौमहला

इति सत्यापित

✍

(सागर पवार IFS)
 उप निरीक्षक

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district jhalawar rajasthanJhalawar
Amount(in Rs)	412/-

Amount in Words :Four Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-10-2023

Agency Name.	PWD
Application No.	6175580108
MoEF/SG File No.	1(50)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office PWD Division chaumahla tehsil gangdhar district jhalawar rajasthan Jhalawar
Amount(In Rs)	412/-

Amount In Words :Four Hundred and Twelve Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856175580108 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs. 412/-

(Rs Four hundred twelve on) (सागर प्रवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिशायी अभियन्ता
सा नि. वि. खण्ड चौमहला
कोट नं 102000

प्रति सहायित

यू. ओ. नोट

184

42

विषय: कैम्पा फण्ड में माह मार्च 2016 में भुगतान की सूचना ।

विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा कैम्पा फण्ड में स्वीकृति अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करा दी गई है :-

क्र. सं.	मद	बिल सं.	राशि	खाता संख्या	विवरण
1	राजपैक्स	961 / 21.03. 2016	83576000 रु.	61087162999 SBBJ, Tilak Marg, Jaipur	ट्रेजरी वाउचर सं 73088 द्वारा 23.03. 2016 को जमा
2	एडहॉक कैम्पा नई दिल्ली	960 / 21.03. 2016	118700000 रु.	037100101025225	डी.डी.सं 450418 दि. 30. 03.2016 कारपोरेशन बैंक, चर्च रोड, जयपुर में दि. 31.03.2016 को समाशोधन हेतु जमा कराया गया ।
3	एडहॉक कैम्पा नई दिल्ली	1032 / 31.03. 2016	13847228 रु.	037100101025225	डी.डी.सं 450711 दि. 31. 03.2016 कारपोरेशन बैंक, चर्च रोड, जयपुर में दि. 04.04.2016 को समाशोधन हेतु जमा कराया गया ।

उप वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

उप सत्यापित

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

यू.ओ. नोट क्रमांक एफ () कोष/प्रमुखसं/राज./2016/2875-80
दिनांक: 06.04.2016

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Kindly send a copy of this information along with the order to Mr. Rao. 26/4

उप वन संरक्षक एवं प्राविधिक सहायक
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

188
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoPF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/1844

दिनांक: 28/06/2016

उप वन संरक्षक
झालावाड़।

विषय:—Construction of A/R Banikheri in Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7558/2014)

संदर्भ:—इस कार्यालय का सम संख्यक पत्रांक 1256 दि. 2.5.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको राज्य सरकार के पत्रांक प. 4 (26) वन/2008 दि. 18.3.16 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 2879-80 दि. 6.4.16 की प्रतियां प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7, 8 व 9 की राशि रुपये 57.33 लाख केम्पाफण्ड में माह मार्च, 2016 में जमा करवा दी गई है। साथ ही आपको उक्त राशि के संबंध में निर्धारित संशोधित प्रपत्र (12 कॉलम) पर सूचना तैयार कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट के साथ अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु वांछित अनुपालना रिपोर्ट आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है। अगर पूर्ण अनुपालना भिजवाने में विलंब हो रहा हो तो 57.33 लाख जमा राशि की 12 कॉलम की सूचना अविलंब इस कार्यालय को भेजवायें। उक्त 57.33 लाख रुपये राशि उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा द्वारा जमा करायी गयी राशि क.सं. 2 में उल्लेखित राशि 11,87,00,000/- में सम्मिलित है।

कृपया - स्वतन्त्रता अनुसार ।

भवदीय,

(सी.एस. रत्नासामी)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2014/एफसीए/प्रमुवसं/1845-46 दिनांक: 28/06/2016

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को इस कार्यालय के सम संख्यक पत्रांक 1257-58 दि. 2.5.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E:/ Office documents/a

उत्ति लत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़